



राज्यपाल सचिवालय, बिहार  
(जन-सम्पर्क शाखा)  
राजभवन, पटना-800022

ई-मेल-[prrajbhavan@gmail.com](mailto:prrajbhavan@gmail.com)  
मो-9431283596

प्रेस-विज्ञप्ति

राज्यपाल ने राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकन हेतु  
ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से चयनित विद्यार्थियों की प्रथम सूची जारी की

पटना, 15 जुलाई 2018

महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने आज राजभवन में राज्य के विभिन्न 10 विश्वविद्यालयों के लगभग 440 कॉलेजों में स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से चयनित छात्रों की प्रथम सूची जारी की। कुल लगभग 4.11 लाख आवेदकों में से लगभग 3.44 लाख विद्यार्थी इस जारी सूची के आलोक में अपना नामांकन विभिन्न कॉलेजों में कल 16 जुलाई से 24 जुलाई, 2018 के बीच ले सकेंगे।

चयनित छात्रों की सूची जारी करते हुए राज्यपाल श्री मलिक ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के महाविद्यालयों में विद्यार्थी बगैर किसी परेशानी, काफी कम आर्थिक व्यय पर सुविधापूर्ण स्नातक वर्ग में नामांकन ले सकेंगे। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर को राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए आनलाईन आवेदन की इस व्यवस्था के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन पर बधाई दी और कहा कि इस तकनीकी व्यवस्था से नामांकन में पारदर्शिता आएगी तथा विद्यार्थी व उनके अभिभावक मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक हर तरह की असुविधाओं से राहत पा सकेंगे।

राज्यपाल ने 'वसुधा केन्द्रों' के संचालकों तथा जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र के संचालकों को भी इस कार्य में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ज्ञातव्य है कि नामांकन हेतु उक्त आवेदन की इस प्रक्रिया में लगभग 3400 वसुधा-केन्द्रों एवं 314 जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्रों ने भी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया था। राज्यपाल ने 'OFSS' (Online facilitation System for Students) नामक इस आवेदन एवं चयन व्यवस्था की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था के कार्यान्वयन से राज्य में एकेडमिक कैलेण्डर के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्यपाल सचिवालय के भी कई अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर ने राज्यपाल को बताया कि पूर्व में उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नामांकन के लिए स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अलग-अलग Prospectus एवं आवेदन प्रपत्र का क्रय कर अलग-अलग संस्थानों के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना पड़ता था, जिसके कारण विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण, गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने में कठिनाई होती थी। इतना ही नहीं, किसी अन्य शहर में नामांकन के लिए उन्हें यात्रा भी करनी पड़ती थी और उस शहर में रहने के लिए अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। विद्यार्थियों को इस बात की भी सूचना नहीं मिलती थी कि महाविद्यालय में नामांकन के लिए कितनी सीटें हैं और ना ही महाविद्यालय के Infrastructure की जानकारी उन्हें मिलती थी। साथ ही महाविद्यालयों को भी फार्म छापने, भरने से लेकर आवेदनों की प्रोसेसिंग करने इत्यादि में काफी समय एवं मैन पावर की आवश्यकता होती थी। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के लागू होने से विद्यार्थियों को नामांकन कराने के लिए किसी संस्थान में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होगा और न ही उन्हें हर संस्थान के लिए अलग से फॉर्म एवं पैसा जमा करना होगा। इस व्यवस्था के पूर्व नामांकन की प्रक्रिया में भी काफी समय लगता था क्योंकि प्रत्येक संस्थान द्वारा मैनअल रूप से आवेदन की प्रोसेसिंग की जाती थी।

(2)

श्री आनन्द किशोर ने कहा कि राज्यपाल सचिवालय के निदेशों के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा स्नातक कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु नामांकन की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था राज्य के 10 विश्वविद्यालयों (भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/बी0 आर0 अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/मगध विश्वविद्यालय, गया/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना/पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ एवं मुंगेर वि विश्वविद्यालय, मुंगेर) के लिए की गयी है।

निर्धारित तिथि 3 जुलाई 2018 तक कुल 4,11,826 विद्यार्थियों ने विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकन के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन दिया है।

ऑनलाइन आवेदन देने के लिए विद्यार्थियों को कई विकल्प दिये गये थे। कुल 4,11,826 विद्यार्थियों ने जो ऑनलाइन आवेदन दिया है, उनमें से कुछ ने सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से, कुछ ने जिला निबन्धन सह परामर्श केन्द्र (District Registration Cum Counselling Centre) से, कुछ ने अपने घर के व्यक्तिगत कम्प्यूटर से एवं इन्टरनेट साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन दिया है। आवेदन देने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा देने से शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ-साथ सुदूर देहाती क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी सुविधाएँ मिली।

श्री किशोर ने राज्यपाल को बताया कि OFSS Software के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन करने के लिए समिति की वेबसाइट पर <http://biharboardonline.bihar.gov.in> पर लिंक उपलब्ध था। नामांकन करने के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों को कुल रू0 300/- (तीन सौ) की राशि जमा करनी थी, जिसमें रू0 100/- (एक सौ) आवेदन शुल्क एवं रू0 200/- (दो सौ) कॉलेज शुल्क निहित था। विदित हो कि विद्यार्थियों ने शुल्क का भुगतान विभिन्न माध्यम यथा- एसबीआई में नगद राशि (ई-चालान के माध्यम से) अथवा किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में किया है।

ऑनलाइन नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन के बाद विद्यार्थियों द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर OTP (One Time Password) नंबर भी भेजा गया। साथ ही, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाईल तथा ई-मेल के माध्यम से हर Step की सूचना दी गयी।

श्री किशोर ने बताया कि आज जारी प्रथम सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थी किस संस्थान में नामांकन के लिए जाना है, इसकी भी जानकारी मोबाईल तथा ई-मेल के माध्यम से विद्यार्थियों को दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि यदि इसके बाद भी संस्थानों में स्थान रिक्त रहता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा दूसरी चयन सूची जारी की जायेगी, जिसके आधार पर संस्थान शेष बची सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद भी यदि किसी संस्थान में सीट अर्थात् स्थान खाली रह जाता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा तीसरी व अंतिम चयन सूची जारी की जायेगी, ताकि संस्थान शेष सीटों पर अपने यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कर सकें। इसके बावजूद, यदि किसी संस्थान में सीट खाली रह जाता है, तो ऐसे संस्थान स्वयं विद्यार्थियों का नामांकन वहाँ कर सकते हैं, परन्तु उसके लिए उन्हें संबंधित विद्यार्थियों का इस ofss पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा।

ofss के अंतर्गत ऑनलाइन नामांकन की इस नई व्यवस्था की निगरानी के लिए पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय में हेल्प सेन्टर बनाया गया है। हेल्प सेन्टर का सम्पर्क दूरभाष नम्बर 0612-2230009 है। इस हेल्प सेन्टर को 30 PRI लाइन से जोड़ा गया है और 30 Call Support Executive उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय में Project Management Unit (PMU) की स्थापना की गयी जिसमें Project Manager, Functional Consultant, Database Administrator, Senior Developer and Developer कार्यरत हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया की राज्य स्तर पर Monitoring कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे राज्य के सभी जिलों में कुल 75 District PMU Executive की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पटना जिला में 04, अन्य बड़े जिलों में 03, मध्यम जिलों में 02 तथा छोटे जिलों में 01 District PMU Executive को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो उस जिले के संबंधित संस्थान से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें OFSS के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। ये सारे PMU Executive विभिन्न जिलों में उस जिले से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा प्राधिकृत किये गये महाविद्यालयों/ संस्थानों में इस पूरी नामांकन अवधि में उपलब्ध रहेंगे, जिनकी जिलावार स्थान सहित विस्तृत सूची वेबसाइट [www.ofssbihar.in](http://www.ofssbihar.in) पर भी प्रकाशित है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर ने राज्यपाल को बताया कि—

- प्रथम तय सूची में चयनित विद्यार्थियों में नामांकन 16 से 24 जुलाई तक कॉलेजों द्वारा लिया जायेगा।
- संबंधित कॉलेज को विद्यार्थियों द्वारा लिये गये नामांकन की सूची OFSS पोर्टल में 25 जुलाई तक अपलोड कर देनी होगी, ताकि नामांकन के पश्चात् संबंधित कॉलेज में रिक्त सीटों का आवंटन दूसरी चयन सूची के प्रकाशन के लिए किया जा सके।
- 26 से 29 जुलाई तक आवेदकों को OFSS पोर्टल में लॉगइन करके बेहतर विकल्प वाले कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र में अतिरिक्त विकल्प भी जोड़ना चाहते हैं तो वो अतिरिक्त विकल्प भी जोड़ सकेंगे।
- OFSS के माध्यम से करीब 60 हजार आवेदकों का चयन नहीं हुआ है। वैसे आवेदकों को पुनः दिनांक 26 से 29 जुलाई तक यह सुविधा दी जायेगी कि वो OFSS पोर्टल में लॉगइन करके अपना विकल्प भर सकें। ऐसे आवेदकों को न्यूनतम 5 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प भरने होंगे।
- इसके पश्चात् 3 अगस्त को दूसरी चयन सूची जारी की जायेगी।
- दूसरी चयन सूची में चयनित छात्र संबंधित कॉलेज में दिनांक 4 अगस्त से 10 अगस्त तक नामांकन ले सकेंगे।
- संबंधित कॉलेज को दूसरी चयन सूची में चयनित छात्रों द्वारा लिये गये नामांकन की सूची OFSS पोर्टल में 12 अगस्त तक अपलोड कर देनी होगी।
- 13 से 16 अगस्त तक आवेदकों को OFSS पोर्टल में लॉगइन करके बेहतर विकल्प वाले कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र में अतिरिक्त विकल्प भी जोड़ना चाहते हैं तो वो अतिरिक्त विकल्प भी जोड़ सकेंगे।
- इसके पश्चात् 22 अगस्त को तीसरी चयन सूची जारी की जायेगी।
- तीसरी चयन सूची में चयनित छात्र संबंधित कॉलेज में दिनांक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक नामांकन ले सकेंगे।
- संबंधित कॉलेज को तीसरी चयन सूची में चयनित छात्रों द्वारा लिये गये नामांकन की सूची OFSS पोर्टल में 29 अगस्त तक अपलोड कर देनी होगी।

.....